भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/7/2008-जेएस-II

दिनांक 07 अक्टूबर, 2008

सेवा में

1. सचिव, भारत सरकार
   गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
2. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों
   के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
   के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: सम्पत्ति तथा प्रचार से संबंधित अन्य सामग्री के विरूपण की रोकथाम - संशोधित अनुदेश-तत्सम्बन्धी।

मुझे निर्वाचन प्रचार के संबंध में सम्पत्ति के विरूपण को रोकने के संदर्भ में आयोग के दिनांक 16 अक्टूबर, 2007 के पत्र सं. 3/7/2008-जेएस-II का संदर्भ आमंत्रित करने का निदेश हुआ है।

2. पूर्व में आयोग ने सम्पत्ति के विरूपण के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष कानून अधिनियमित किए जाने का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों ने सम्पत्ति के विरूपण को शासित तथा विनियमित करने के लिए विशेष कानून अधिनियमित किए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे कानून हैं जिनके तहत कुछ विशिष्ट क्षेत्र जैसे नगरपालिका आदि शामिल किए गए हैं अथवा इस संबंध में कोई कानून नहीं है। आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों में इस संदर्भ में स्थिति का तालिकावार विवरण इस परिपत्र के साथ परिशिष्ट के रूप में दी गई सूची में संलग्न है (अनुलग्नक-1 के रूप में चिह्नित)। चूंकि पूरे देश में इस संबंध में कोई एक कानून नहीं है, इसलिए लागू किए जाने वाला कानून अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है। 2009 में होने वाले लोक सभा के साधारण निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन के दौरान सुचारू ढंग से प्रचार के लिए और उन सभी प्राधिकारियों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए, जिन पर फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है और प्रेक्षकों के लिए भी जिन्हें विभिन्न राज्यों/निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की निगरानी के लिए तैनात किया जाता है, सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश बनाना आवश्यक हो गया है।

3. इस मामले के सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करने के बाद आयोग ने पूर्व के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन अवधि के दौरान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, व्यक्तियों और संगठनों आदि द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं:

सार्वजनिक स्थानों का विरूपण

4. (क) किसी सरकारी भवन (उसमें सिविल संरचना सहित) में दीवार पर लिखने, पोस्टर/कागज चिपकाने अथवा किसी और रूप में विरूपण अथवा कट आउट, होर्डिंग, बैनर, फ्लैग आदि लगाने/प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। इस उद्देश्य से सरकारी भवन में वह सरकारी कार्यालय तथा कैम्पस शामिल होगा जहां कार्यालय का भवन स्थित है।

(ख) यदि किसी स्थानीय कानून में पैसे का भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थान (जैसे किसी सरकारी भवन में) पर स्लोगन लिखने, पोस्टर लगाने आदि के लिए अथवा कट आउट, होर्डिंग, बैनर, राजनैतिक विज्ञापन आदि लगाने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है तो कानून के संगत प्रावधानों के अनुसार और इस विषय में न्यायालय के आदेशों, यदि कोई हो, के अनुसरण में ही इसकी अनुमति दी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे किसी स्थान पर किसी विशेष दल (दलों) अथवा अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) का दबदबा/एकाधिकार न हो। इस संबंध में सभी दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया जाना चाहिए।

(ग) यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से निर्धारित कोई स्थल है जैसे बिल बोर्ड, होर्डिंग आदि और यदि इस स्थान को व्यक्तिगत ग्राहकों को आगे आवंटित करने के लिए किसी एजेंसी को भुगतान पर दे दिया गया है तो जिला निर्वाचन अधिकारी संबंधित नगरपालिका अधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचन से संबंधित विज्ञापनों के लिए ऐसे विज्ञापन स्थलों तक सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों की समान पहुंच हो।

निजी स्थानों का विरूपण

5. (क) जिन राज्यों में इस विषय पर कोई स्थानीय कानून नहीं है वहां बिना किसी शर्त के और जिन राज्यों में कानून है वहां कानून के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के शर्त के अधीन निजी भवनों में भवन के मालिक की स्वैच्छा से अनुमति लेकर अस्थायी तथा आसानी से हटाई जा सकने वाली विज्ञापन सामग्री जैसे फ्लैग और बैनर लगाए जा सकते हैं। यह अनुमति स्वैच्छा से दी जानी चाहिए और दबाव डाल कर अथवा धमकी देकर नहीं ली जानी चाहिए। ऐसे बैनर अथवा फ्लैग से दूसरे लोगों को कोई परेशानी नहं

होनी चाहिए। ऐसे मामलों में फ्लैग और बैनर लगाने के 3 दिन के अंदर इस संबंध में लिखित में स्वैच्छा से ली गई अनुमति की छायाप्रति, नीचे उप-पैरा (ग) में दी गई पद्धति से रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ख) यदि स्थानीय कानून में दीवार पर लिखने, पोस्टर चिपकाने और ऐसी किसी और स्थायी/अर्द्ध-स्थायी वस्तु से विरूपण, जो आसानी से हटाया न जा सकता हो, की स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गई है तो किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं किया जाएगा, चाहे सम्पत्ति के मालिक से सहमति भी ले ली गई हो। यह उन राज्यों पर भी लागू होगा जहां सम्पत्ति के विरूपण को रोकने के लिए कोई स्थानीय कानून नहीं है।

(ग) जहां स्थानीय कानून में भवन के मालिक की अनुमति से निजी भवनों में दीवार पर लिखने तथा पोस्टर चिपकाने, होर्डिंग, बैनर लगाने आदि के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है वहां संबंधित प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल सम्पत्ति के मालिक से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करेगा और संलग्न प्रारूप (अनुलग्नक-2 के रूप में) में विवरण के साथ इस अनुमति की छायाप्रतियां अनुमति प्राप्त करने के 3 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेगा। ऐसे मामलों में और ऊपर उप-पैरा (क) में उल्लिखित मामलों में विवरण में जिस भवन स्वामी से अनुमति ली गई है उसका नाम और पता और इस प्रयोजन से किए गए अथवा होने वाले संभावित व्यय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे लिखित प्रचार/प्रदर्शन में ऐसा कुछ भी लिखने की अनुमति नहीं होगी जो भड़काऊ हो अथवा समुदायों के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। इस प्रकार अभ्यर्थी के विशिष्ट प्रचार अभियान में किए गए व्यय को अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। किसी अभ्यर्थी का उल्लेख किए बिना विशेष रूप से एक दल के लिए किए गए प्रचार अभियान पर हुए व्यय को अभ्यर्थी के व्यय में नहीं जोड़ा जाएगा। प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थी गांव/स्थान/नगर-वार सूचना आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के 3 दिन के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी को देगा जिससे रिटर्निंग ऑफिसर अथवा निर्वाचन प्रेक्षक अथवा निर्वाचन के आयोजन से जुड़े किसी अधिकारी द्वारा इसकी जांच में आसानी हो।

(घ) किसी स्थानीय कानून अथवा वहां लागू न्यायालय के किसी आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की शर्तों के अधीन राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी स्वयं की सम्पत्ति पर बैनर, बंटिंग, फ्लैग, कट आउट लगा सकते हैं बशर्ते कि वे ऐसा स्वयं की इच्छा से और किसी दल, संगठन अथवा व्यक्ति के दबाव के बिना करें और बशर्ते कि इनसे किसी और व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि इस प्रकार के बैनर, फ्लैग आदि का लक्ष्य किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगना है तो आईपीसी की धारा 171एच के प्रावधान लागू होंगे और इनकी पालना की जानी होगी।

आईपीसी की धारा 171एच में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सामान्य अथवा विशेष प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन का प्रचार करने के उद्देश्य से कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करके अथवा किसी विज्ञापन, परिपत्र अथवा प्रकाशन अथवा किसी अन्य प्रकार से व्यय करता है अथवा व्यय करने का प्राधिकार देता है तो उसे जुर्माना लगा कर दंडित किया जाएगा जो कि पांच सौ रुपये तक हो सकता है; बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति ने बिना प्राधिकार के यह व्यय किया है, जो दस रुपये से अधिक नहीं है, ऐसा व्यय किए जाने से दस दिन के अंदर अभ्यर्थी से लिखित में अनुमोदन ले लेता है तो उसके द्वारा यह व्यय अभ्यर्थी के प्राधिकार से किया गया माना जाएगा।

हॉल/ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण

6. सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/पीएसयू/कॉओपरेटिव के स्वामित्व में/नियंत्रण में हॉल/ऑडिटोरियम/बैठक स्थल के मामले में यदि उनके प्रयोग को शासित करने वाला कानून/दिशानिर्देश इनमें राजनैतिक बैठकों पर रोक नहीं लगाते हैं तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इनका आवंटन समान आधार पर किया जाए और किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी का एकाधिकार न हो। ऐसे स्थानों पर लागू कानून/दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंध के शर्त के अधीन बैठक के दौरान बैनर, बंटिंग, फ्लैग, कट-आउट की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे बैनर, फ्लैग आदि भवन का प्रयोग करने वाले दल/व्यक्ति द्वारा बैठक समाप्त होते ही तुरंत और किसी भी स्थिति में बैठक के बाद उचित अवधि के अंदर हटा लिए जाएंगे। ऐसे भवनों में स्थायी/अस्थायी विरूपण जैसे दीवार पर लिखने/पोस्टर चिपकाने आदि की अनुमति नहीं होगी।

7. यदि कोई राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति स्थानीय कानून, यदि कोई हो, अथवा उपर्युक्त अनुदेशों के उल्लंघन में किसी सम्पत्ति के विरूपण में शामिल होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी उल्लंघनकर्ता को तुरंत विरूपण को हटाने के लिए नोटिस जारी करेगा। यदि वह राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति तुरंत जवाब नहीं देता तो जिला प्राधिकारी विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में होने वाला व्यय विरूपण के लिए जिम्मेदार राजनैतिक दल/संघ/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त इस राशि को संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में भी जोड़ा जाएगा और संगत कानून (विरूपण पर रोक लगाने से संबंधित कानून के तहत, यदि कोई हो, अथवा दूसरों की सम्पत्ति को जान-बूझ कर नुकसान पहुंचाने के लिए सामान्य कानून के प्रावधान के तहत) दोषी पर अभियोग चलाने के लिए कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

वाहनों का विरूपण

8. (क) निजी वाहनों में मोटर वाहन अधिनियम, इसके तहत नियमों और न्यायालय के लागू आदेशों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अध्यधीन वाहन के मालिक द्वारा अपनी स्वयं की इच्छा से अपने वाहन पर कोई फ्लैग और स्टीकर लगाया जा सकता है बशर्ते कि इससे सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों को कोई परेशानी न हो। यदि इस प्रकार फ्लैग और स्टीकर लगा कर किसी अभ्यर्थी के लिए वोट मांगा गया हो तो आईपीसी की धारा 171एच के प्रावधान लागू होंगे और इनका पालन किया जाना होगा।

(ख) व्यावसायिक वाहनों पर किसी फ्लैग, स्टीकर आदि के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसा वाहन जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर से आवश्यक अनुमति लेकर निर्वाचन प्रचार के लिए वैध रूप से प्रयोग किया जा रहा वाहन न हो और उसकी विंड-स्क्रीन पर मूल परमिट न लगाया गया हो।

(ग) लाउडस्पीकर लगाने सहित वाहन में बाह्य परिवर्तन मोटर वाहन अधिनियम/नियमों के और अन्य किसी स्थानीय अधिनियम/नियम के प्रावधानों की शर्त के अधीन होगा। परिवर्तन किए गए वाहनों और विशेष प्रचार वाहनों जैसे रथ आदि का प्रयोग मोटर वाहन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति लेने के बाद ही किया जा सकता है।

अन्य प्रचार संबंधी सामग्री

9. व्यय के लेखांकन की शर्त पर निम्नलिखित की अनुमति दी जा सकती है:-

(क) जुलूस और रैली आदि में स्थानीय कानून तथा लागू निषेद्धात्मक आदेशों की शर्त के अधीन फ्लैग, बैनर, कट-आउट आदि ले जाए जा सकते हैं;

(ख) ऐसे जुलूसों में दल/अभ्यर्थी द्वारा दी गई विशेष वस्तुओं जैसे टोपी, मास्क, स्कार्फ आदि की अनुमति दी जा सकती है। तथापि दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य वस्त्रों जैसे साड़ी, शर्ट आदि दिए जाने की अनुमति नहीं है।

(ग) शैक्षणिक संस्थाओं और उनके ग्राउंड {सरकार से सहायता प्राप्त, निजी अथवा सरकारी} व राजनैतिक प्रचार और रैलियों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से आयोग के निदेश सूचना तथा अनुपालना हेतु जि निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों और निर्वाचन से संबंधित सभी प्राधिकारियों, राज्य मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय तथा राज्य दलों की राज्य इकाइयों और राज्य में आधारित सभी पंजीकृत

मान्यताप्राप्त दलों सहित सभी राजनीतिक दलों और प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों के भी (निर्वाचन के समय) ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

11. कृपया इस पत्र की पावती भेजें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कृपया इसकी पुष्टि करें कि उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई की गई है।

भवदीय,

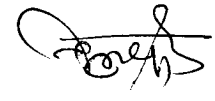

(के.एफ. विल्फ्रेड)
सचिव

अनुलग्नक-1

सम्पत्ति का विरूपण - कानून

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अधिनियम/ नियम का नाम	प्रयोज्यता
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश सार्वजनिक स्थल विरूपण निवारण तथा अश्लील एवं आपत्तिजनक पोस्टर तथा विज्ञापन निषेध अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
2	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
3	बिहार	बिहार प्रदेश सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1997	यह पूरे राज्य में लागू है।
4	छत्तीसगढ़	राज्य द्वारा अलग से कोई कानून/अधिनियम नहीं बनाया गया है। परंतु मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
5	गोवा	वर्ष 1992 और 2001 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित गोवा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1988	यह पूरे राज्य में लागू है।
6	हरियाणा	वर्ष 1996 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित हरियाणा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1989	यह पूरे राज्य में लागू है।
7	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1985	यह पूरे राज्य में लागू है और यह शिमला नगर निगम के क्षेत्र में अविलम्ब

			लागू होगा और राज्य के शेष भाग में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
8	झारखंड	अलग से कोई कानून/अधिनियम नहीं है परंतु बिहार सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1985 राज्य में लागू है।	यह पूरे राज्य में लागू है।
9	जम्मू-कश्मीर	1985 का जम्मू-कश्मीर सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम सं. XIX	यह पूरे राज्य में लागू है।
10	कर्नाटक	वर्ष 1983 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित कर्नाटक सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1981	यह कर्नाटक नगर निगम अधिनियम -1976 अथवा 5.5.81 तक किसी भी कानून के तहत गठित अथवा जारी रखे गए बंगलुरू, मैसूर, हुबली, धारवाड़, मैंगलोर और बेलगांव में लागू होगा और कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम - 1964 अथवा किसी अन्य कानून के तहत गठित अथवा जारी रखी गई नगरपालिकाओं, अधिसूचित क्षेत्रों, सैनिटरी बोर्डों अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना

			द्वारा घोषित करे।
11	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994	यह पूरे राज्य में लागू है।
12	महाराष्ट्र	सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम के संबंध में 1995 का महाराष्ट्र अधिनियम सं. VIII	अधिनियम लागू होने के क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
13	मिजोरम	मिजोरम सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1995	यह पूरे राज्य में लागू है।
14	नागालैंड	नागालैंड सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1995	यह असम जनजातीय क्षेत्र (टाउन) समिति प्रशासन) विनियमन, 1950 के तहत गठित अधिसूचित क्षेत्रों अथवा किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में उस तारीख से लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करे।
15	पंजाब	पंजाब सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1998	यह पूरे राज्य में लागू है।
16	सिक्किम	सिक्किम सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1988	यह पूरे राज्य में लागू है।
17	तमिलनाडु	1992 के अधिनियम द्वारा यथासंशोधित तमिलनाडु सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 1959	यह पूरे राज्य में लागू है।

18	त्रिपुरा	राज्य में अब लागू त्रिपुरा (सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम) संशोधन अधिनियम, 1998 के साथ त्रिपुरा सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976	यह पूरे राज्य में लागू है और पहले यह अगरतला शहर की नगरीय सीमा में लागू होगा परंतु राज्य सरकार समय-समय पर राजकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्रों अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में इसे लागू कर सकती है।
19	उत्तराखंड	उत्तरांचल सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 2003	यह पूरे राज्य में लागू है।
20	अंडमान एवं निकोबार	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1987	यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पूरे संघ शासित क्षेत्र में लागू है।
21	चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 लागू किया गया है	यह पूरे राज्य में लागू है।
22	दिल्ली	दिल्ली में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 लागू किया गया है (अलग से एक अधिनियम विचाराधीन है)	यह पूरे राज्य में लागू है।
23	पुडुचेरी	पांडिचेरी सार्वजनिक स्थल (विरूपण रोक-थाम) अधिनियम, 2000	यह पांडिचेरी के पूरे संघ राज्य क्षेत्र में लागू है।

जिन राज्यों में सम्पत्ति के विरूपण के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	
1	असम	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
2	गुजरात	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
3	केरल	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
4	मणिपुर	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
5	मेघालय	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
6	ओडिशा	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
7	राजस्थान	इस विषय पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है परंतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 198 में यह प्रावधान है कि मालिक अथवा निवासी की अनुमति के बिना और सरकारी सम्पत्ति के मामले में बोर्ड से लिखित में अनुमति के बिना कोई पोस्टर, बिल, प्लेकार्ड अथवा अन्य कागज अथवा विज्ञापन चिपकाना दंडनीय है जिसके लिए 20 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
8	उत्तर प्रदेश	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
9	पश्चिम बंगाल	पूर्व में पश्चिम बंगाल सम्पत्ति विरूपण रोक-थाम अधिनियम, 1976 (1976 का पश्चिम बंगाल अधिनियम सं. XXI)। अब यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।
10	दादरा एवं नगर हवेली	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
11	दमन एवं दीव	कोई कानून/अधिनियम नहीं है
12	लक्षद्वीप	कोई कानून/अधिनियम नहीं है

अनुलग्नक-2

..... संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री ..... द्वारा दीवार पर लिखे गए/ लगाए गए पोस्टरों/होर्डिंग/बैनरों आदि को दर्शाने वाला विवरण

गांव/शहर/स्थान का नाम .....

क्र. सं.	निजी सम्पत्ति के मालिक का नाम और पता, जिससे लिखित अनुमति ली गई है	दीवार पर लिखने अथवा होर्डिंग अथवा बैनर अथवा पोस्टर (दीवार पर लिखे गए विज्ञापन/ होर्डिंग/ बैनर/ पोस्टर) का आकार दर्शाया जाएगा	दीवार पर लिखे गए विज्ञापन/ होर्डिंग/ बैनर/ पोस्टर आदि पर किए गए व्यय अथवा किए जाने वाले व्यय का ब्योरा (रुपये)